पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001
फोन नं : 0522-2205100

संदर्भ: PGCIL/A/E/20/00061 दिनांक : 04.01.2021

प्रार्थी का नाम: **श्री अशोक कुमार**
फ्लैट संख्या A-33 फर्स्ट फ्लोर,
पार्श्वनाथ सिटी, फैजाबाद रोड,
टाइम्स ऑफ़ इण्डिया कार्यालय के नज़दीक
तिवारीगंज, लखनऊ -226028
मो० 8299 500 936

अपील पत्र दिनांक: 04.12.2020

लोक प्राधिकारी: पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, लखनऊ

उपस्थित: उत्तरदायी
श्री राणा प्रताप,
महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.–3
पावरग्रिड , लखनऊ

आदेश

अपीलीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली – 3, पावरग्रिड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार से ऑनलाइन पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा अपील प्राप्त की गयी है जो कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी से अपने आवेदन दिनांक 11.11.2020 में मांगी गयी सूचना के निमित्त है|

अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2020 के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा की गई एवं सी०पी०आई०ओ० के विचार को सुना गया| सी०पी०आई०ओ० ने प्रत्युतर में बताया कि आवेदक ने किसी विशेष जानकारी की मांग न कर, पूर्व में दी गई जानकारी के सन्दर्भ में प्रश्न किये है| चूँकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सी०पी०आई०ओ० द्वारा कार्यालय में उपलब्ध जानकारी दिये जाने का प्रावधान है, न कि प्रश्नों के उत्तर देने और कारण बताने का| तथापि मानव संसाधन विभाग से जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी अक्सर एच. बी. ए. संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ों /अनियममिताओं की जानकारी हेतु मानव संसाधन विभाग में स्वयं आया करते थे और उन्हे मौखिक रूप से जानकारी प्रदान कर दी जाती थी| इसके अलावा एच.बी. ए . संबंधित सभी नियम, पॉलिसी एवं परिपत्र पावरग्रिड के पोर्टल पर उपलब्ध है| तदनुसार मानव संसाधन विभाग द्वारा एच.बी.ए. जारी करने से पूर्व एच.बी.ए. सैंक्शन आर्डर (दिनांक 20.08.2020 को जारी) में लिखे सभी दिशा-निर्देशों का प्रार्थी द्वारा पालन करना अनिवार्य है| मानव संसाधन से प्राप्त सूचना के अनुसार अपीलार्थी द्वारा समय पर स्योरिटी बॉन्ड (Surety Bond) जमा नहीं किए जाने के कारण एच.बी.ए. संबंधित आगे की कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा सकी|

समीक्षा में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सी.पी.आई.ओ. के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा उक्त अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने तर्क-वितर्क प्रस्तुत किये है जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में नहीं आती है |

अतः अपील को ख़ारिज किया जाता है |

04/01/21

[श्री संजय गुप्ता]
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ – 226001, उ. प्र.

प्रतिलिपि: श्री राणा प्रताप, महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ.क्षे.–3, लखनऊ